

1.	योजना का नाम	नमक मजदूर कल्याण योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजना के तहत लवण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यशैली में सुधार हेतु लवण श्रमिकों को पहचान पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है। इन पहचान पत्रों के आधार पर बीमा के अतिरिक्त बजट उपलब्धता के अनुसार गम बूट्स, गौगल्स एवं साईकिल उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इच्छुक श्रमिक संबंधित जिला उद्योग केन्द्र/लवण निरीक्षक कार्यालय में आवेदन कर सकता है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	2009
4.	लाभान्वित वर्ग	नमक क्षेत्रों में कार्यरत नमक मजदूर।
5.	पात्रता	नमक उद्योगों में कार्य करना।
6.	देय सुविधाएं	नमक मजदूर कल्याण योजनान्तर्गत पंजीकृत नमक मजदूरों को पहचान पत्र जारी करवाये जाकर बीमा करवाया जाता है एवं बजट उपलब्धतानुसार गम बूट्स, गौगल्स, साईकिलें आदि उपलब्ध करवायी जाती हैं।
7.	आवेदन का तरीका	इच्छुक नमक मजदूर को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के संबंधित लवण निरीक्षक को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
8.	आवेदन कहाँ किया जाये	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र एवं लवण निरीक्षक का कार्यालय।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर संबंधित लवण निरीक्षक को जमा कराया जाना है। फार्म के साथ उनकी फोटो एवं जिस नमक उत्पादक के पास कार्य करते हैं का प्रमाण पत्र, कि वह उक्त संस्था के पास कार्य करते हैं।
10.	सम्पर्क सूत्र	1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र (नमक उत्पादक जिले से संबंधित) 2. जिला उद्योग अधिकारी/लवण निरीक्षक (नमक उत्पादक जिले से संबंधित)
11.	निर्धारित समय-सीमा	60 दिवस
12.	निर्धारित सहायता/सुविधाएं नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	पत्र के माध्यम से
	शिकायत का समाधान होने की समय-सीमा	45 दिवस
13.	बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित अधिकारी से भी शिकायत का समाधान न होने पर जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	आयुक्त उद्योग, राजस्थान, जयपुर
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	पत्र के माध्यम से
	शिकायत का समाधान होने की	

	समय-सीमा	
14.	योजना अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता क्या बैंक में जमा होगी अथवा ड्राफ्ट/चैक के द्वारा दी जावेगी	Nil
15.	यदि सहायता राशि बैंक में जमा होगी तो खाता खोलने के लिए किससे संपर्क करना है	Nil
16	कैसे जानकारी होगी कि राशि खाते में जमा हो गई है	Nil
17.	योजना के अन्तर्गत क्या ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है	Nil
	यदि हां, तो वेबसाइट का पता	Nil